न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 36/2025
जमानत आवेदन संख्या : 97/2026
सी.आई.एस. नं. : 94/2026

नरेन्द्र सिंह पाल पुत्र जगदीश सिंह, निवासी मकान नंबर 147, राय कॉलोनी कच्ची बस्ती, हसनपुरा सी अजमेर रोड जयपुर हाल प्लॉट नंबर 12, गोकुलधाम कॉलोनी, हाथोज रेलवे फाटक के पास, सिरसी रोड, थाना करधनी जयपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस.
पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व

उपस्थिति :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशचंद शर्मा, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से।

: आदेश : दिनांक : 07.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवायी गयी। अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दिनांक 27.04.2026 को अस्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त व विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया कांता देवी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि दिनांक 08.01.2021 को परिवादिया का पति रामअवतार तथा ननदोई उनके मिलने वाले जगदीश कोली के घर आए थे। जगदीश ने परिवादिया के पति व उसके ननदोई को नई कॉलोनी में सस्ती रेट पर प्लॉट कटने व बाद में महंगे हो जाने की बात कही तो परिवादिया के पति व ननदोई ने कोई प्लॉट उन्हें दिखाने के लिए कहा तो उसी समय जगदीश ने अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पाल को फोन कर बुला लिया तथा परिवादिया के पति व ननदोई को प्लॉट नं 135 व 135 ए दिखाया, जो उनको पसंद आ गए। जिस पर जगदीश जी ने उसके पति व

ननदोई को साई देने के लिए कहा। उन्होंने नरेंद्र सिंह पाल को उक्त दोनों प्लॉटों के साईपेटे 11–11 हजार रूपये कुल 22,000/– रूपये नकद अदा कर दिये। उसके पति व ननदोई ने नरेन्द्र सिंह को उक्त प्लॉटों को रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदने के लिए कहा तो उसने दिनांक 18.01.2021 को अपनी–अपनी पत्नियों सहित बस्सी बुला लिया। जब वे तहसील बस्सी परिसर में आये तो नरेन्द्र सिंह पाल ने प्लॉट नंबर 135–ए जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3738/एल तथा आवंटन पत्र पर दिनांक 20.12.1999 लिखी थी जो कि परिवादी के नाम था तथा प्लॉट नंबर 135 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3738/एल तथा आवंटन पत्र पर दिनांक 27.12.1994 लिखी थी जो बनेठी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर के थे तथा बनेठी गृह निर्माण सहकारी समिति की एक रसीद नंबर 1808 दिनांक 24.12.1994 लिखा था व एक साईट प्लान जिस पर समिति की मोहर लगी थी। उक्त दस्तावेज देकर उनसे बाकी बची राशि मांगी तो उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्री के माध्यम से प्लॉट खरीदना चाहते थे तो नरेन्द्र ने कहा कि यह पट्टे उसने बाबूलाल व रामअवतार के नाम से बनवा दिये हैं। पुख्ता काम रजिस्ट्री के माध्यम से करवा देता हूं। उसने उसी दिन उसके ननदोई के के नाम के आवंटन पत्र से उसकी ननद सावित्री तथा उसके पति के नाम के आवंटन पत्र उसे उसकी रजिस्ट्री करवा दी। जिसमें दोनों के पति गवाह बन गए। उन्होंने नरेन्द्र को शेष रकम 2,26,600/– रूपये दिए। इस प्रकार कुल 2,37,600/– रूपये दे दिये। उसके नाम का बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक चैक नंबर 348010 राशि 1,00,000/– रूपये तथा 1,41,000/–रूपये अर्थात कुल 2,52,000/–रूपये तथा उनसे कहा कि आपके कहे अनुसार पुख्ता काम कर दिया है। दिनांक 18.12.2024 को प्लॉट संभालने गये तो देखा उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने बाउंड्री करवा रखी है तथा झुग्गीनुमा एक कमरा बना रखा है। उसने उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि नरेन्द्रसिंह पाल फर्जी है तथा कूटरचित पट्टे बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता है। तत्पश्चात् उसने मालूम करने के लिए नरेन्द्र सिंह पाल को खूब फोन किया लेकिन वह उसका फोन नहीं उठाता है। नरेन्द्र सिंह पाल ने उनके साथ धोखाधडी कर पैसे ऐंठे है तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें उक्त प्लॉट दिये हैं.....इत्यादि। बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. का अपराध प्रमाणित पाया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त गरीब व निर्दोष व्यक्ति है, प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में। प्रार्थी/अभियुक्त के कहीं फरार होने या गवाहों को बहकाने बरगलाने का अंदेशा नहीं है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलकों पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मु0 संख्या	धारा	थाना	नतीजा
1.	739/24	420, 406, 467, 468, 471 भा.द.स.	कानोता	––
2.	684/24	420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.स.	कानोता	––
3.	57/25	420, 467, 468, 471 भा.द.स.	कानोता	––
4.	147/25	420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.स.	कानोता	––
5.	129/25	420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.स.	कानोता	––
6.	347/25	420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.स.	कानोता	––

6. उभय पक्षों को सुनने तथा विचारण न्यायालय से मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किए जाने के उपरांत यह दर्शित होता है कि मुलजिम ने परिवादिया के पति तथा ननदोई को फर्जी आवंटन–पत्र देकर प्लॉटों की रजिस्ट्री उसके व उसकी ननद के नाम पर करवाई है और इसकी एवज में काफी बड़ी धनराशि परिवादीगण से प्राप्त की है। अनुसंधान से यह सामने आया है कि सभी आवंटन–पत्र व पट्टे फर्जी तरीके से बनाये गए हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुलजिम पर पूर्व में भी इसी प्रकार के 06 मुकदमे लम्बित हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी करने का मुलजिम आदि है। अतः अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पाल पुत्र जगदीश सिंह, निवासी मकान नंबर 147, राय कॉलोनी कच्ची बस्ती, हसनपुरा सी अजमेर रोड जयपुर हाल प्लॉट नंबर 12, गोकुलधाम कॉलोनी, हाथोज रेलवे फाटक के पास, सिरसी रोड, थाना करधनी जयपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस एतद्नुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक 07.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम